न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.21 / अपील / 2025
(GCMS No. 2025 / 48)

प्रविष्टि दिनांक
05.05.2025

निर्णय दिनांक
08.09.2025

सुलोचना पुत्री बद्रीलाल पत्नी रमेशचंद जाति तेली,
निवासी देवपुरा बून्दी, तहसील व जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)
2.गणेशराम पुत्र बद्रीलाल जाति तेली निवासी माटून्दा तह.व जिला बूंदी
3.महावीर पुत्र बद्रीलाल जाति तेली निवासी माटून्दा तह.व जिला बूंदी
4.गायत्री पुत्री बद्रीलाल जाति तेली निवासी माटून्दा तह.व जिला बूंदी
5.भंवरी पुत्री बद्रीलाल जाति तेली निवासी माटून्दा तह.व जिला बूंदी
6.सावित्री पुत्री बद्रीलाल जाति तेली निवासी माटून्दा तह.व जिला बूंदी
7.बसन्ती पत्नी बद्रीलाल जाति तेली निवासी माटून्दा तह.व जिला बूंदी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पोडेंट सं. 2 से 7 की ओर से श्री प्रवीण कुमार जैन एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 11.06.2001 ग्राम बडून्दा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार बद्रीलाल आ. गजानन्द कौम तेली के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 21/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/48 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 245, 279, 289 व 963/250 कुल किता 4 कुल रकबा 0.2105 हैक्टेयर वाके ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा, जिला बून्दी में स्थित है जो अपीलांट सहित रेस्पो.सं. 2 लगायत 7 के पिता/पति बद्रीलाल आ. गजानन्द के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार बद्रीलाल की मृत्यु दिनांक 18.03.2000 को होने के उपरान्त फोती नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 11.07.2001 को मृतक के वारिसान के पक्ष में दर्ज किया गया, किन्तु उक्त फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय रेस्पो.सं.1 द्वारा मृतक बद्रीलाल के वारिसान की उचित जांच किये बिना अपीलांट सुलोचना के स्थान पर काली का नाम गलत व बिना सुनवाई का अवसर दिये अंकित कर दिया गया, जबकि मृतक बद्रीलाल के वारिसान में कालीबाई नाम की कोई पुत्री नहीं थी। अपीलांट अपने ससुराल देवपुरा में निवासरत है। कृषक आईडी बनाने के संदर्भ में अपीलांट ने वांछित कागजात को एकत्रित करने के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि अपीलांट का नाम जमाबंदी में सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है तथा काली के रूप में दर्ज है, जबकि अन्य सभी पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र आदि में अपीलांट का नाम सुलोचना पत्नी रमेशचंद निवासी देवपुरा बून्दी के रूप में दर्ज है। बद्रीलाल की पुत्री के रूप में काली नाम की कोई संतान नहीं है। कालीबाई के रूप में गलत नाम दर्ज होने से अपीलांट को खेती संबंधी योजनाजनित लाभों से वंचित होना पड रहा है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकन की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम बार दिनांक 17.04.2025 को हुई, इससे पूर्व अपीलांट को गलत नाम की जानकारी नहीं थी। इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 21.04.2025 को अपील विषयक नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन किया, नकल दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त हुई। जानकारी से पूर्व समय को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से पेश है। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर अवधि पेश है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 579 निरस्त किया जाकर काली के स्थान पर सुलोचना के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार तालेडा को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.संख्या 2 लगायत 7 द्वारा दौरान बहस उपस्थित न्यायालय आकर काली के स्थान पर सुलोचना का नाम शुद्ध किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 11.06.2001 की जानकारी दिनांक 17.04.2025 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी किता 5 कुल रकबा 4 बीघा वाके ग्राम बड़ून्दा का खातेदार बदरीलाल वल्द गजानन्द कौम तेली था। खातेदार बदरीलाल के देहान्त के बाद फोती नामान्तरण सं. 579 गणेशराम, महावीर पि. बदरीलाल, बसन्ती बेवा बदरीलाल, भंवरी, काली, सावित्री, गायत्री पुत्रिया बदरीलाल कौम तेली के नाम तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में पुत्री सुलोचना के स्थान पर काली का नाम दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण दर्ज किया जाना अंकित करते हुये उसे निरस्त किया जाकर नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट द्वारा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण में वारिसान की सुनवाई नहीं की जाकर त्रुटिपूर्ण नाम अंकित किये जाने का प्रश्न है तो नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच की जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है, इसके अभाव में अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार तालेडा को प्रतिप्रेषित किया जाकर मृतक खातेदार बदरीलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते